राजस्व प्रार्थना पत्र 62 / 2020
जीसीएमएसम नंबर 2020 / 00172
वीर मोहम्मद बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 62 / 2020

प्रार्थी–

1. वीर मोहम्मद पुत्र सलेमान जाति छिंपा , निवासी– फरड़ोद तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री इन्द्रसिंह राठौड़
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 18/05/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम वीर मोहम्मद पुत्र सलेमान ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा फरड़ोद तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 773 के खसरा नम्बर 1178 / 1997, 1448, 1452, 1457, 1637 में खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड संख्या 008272601142 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू1189471, आधार कार्ड संख्या 9930 1518 0029, भामाशाह कार्ड संख्या 1067–ओएक्स6डी–19454 मे प्रार्थी का सही नाम वीर मोहम्मद पुत्र सलेमान दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 27.11.2021 व 27.04.2022 को मय हल्का आईएलआर व पटवारी फरड़ोद की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत 2073–2076 स्थायी में भीर मोहम्मद पुत्र सलेमान खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी के ग्राम फरड़ोद के खाता संख्या 773 खसरा नंबर 1178 / 1997, 1448, 1452, 1457, 1637 में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी भीर मोहम्मद के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड संख्या 008272601142 , मतदाता पहचान पत्र

18/05/22

संख्या सीपीडब्लू1189471, आधार कार्ड संख्या 9930 1518 0029, भामाशाह कार्ड संख्या 1067–ओएक्स6डी–19454 में नाम वीर मोहम्मद पुत्र सलेमान दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में भीर मोहम्मद नाम से पुकारने के कारण विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम भीर मोहम्मद दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने वीर मोहम्मद तथा भीर मोहम्मद दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी फरड़ोद तहसील जायल की रिपोर्ट, राशन कार्ड संख्या 008272601142 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू1189471, आधार कार्ड संख्या 9930 1518 0029, भामाशाह कार्ड संख्या 1067–ओएक्स6डी–19454 तथा ग्राम फरड़ोद नकल खतौनी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 773 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में फरड़ोद के खतौनी सं. 773 में अंकित खसरान् में प्रार्थी का नाम भीर मोहम्म्द पुत्र सलेमान के स्थान पर वीर मोहम्मद पुत्र सलेमान शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज फरड़ोद तहसील के खतौनी सं. 773 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा खातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार राशन कार्ड संख्या 008272601142 , मतदाता पहचान पत्र संख्या सीपीडब्लू1189471, आधार कार्ड संख्या 9930 1518 0029, भामाशाह कार्ड संख्या 1067–ओएक्स6डी–19454 की फोटो प्रति में प्रार्थी वीर मोहम्मद एवं भीर मोहम्मद एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय वीर मोहम्मद के स्थान पर भीर मोहम्मद दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है

कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि वीर मोहम्मद एवं भीर मोहम्मद दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम फरड़ोद के खाता संख्या 773 में दर्ज खातेदार नाम भीर मोहम्मद पुत्र सलेमान के स्थान पर वास्तविक नाम वीर मोहम्मद पुत्र सलेमान दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम फरड़ोद तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 773 दर्ज नाम भीर मोहम्मद पुत्र सलेमान के स्थान पर वीर मोहम्मद पुत्र सलेमान दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

18/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल